संख्या:134/2016/610/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 13 अप्रैल,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद में **ग्राम सोनवा मवई के निकट कामाख्या भवानी मन्दिर के पास ओरियर मवई घाट पर गोमती नदी पर सेतु** कार्य की शासनादेश संख्या:597/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 द्वारा लागत रू. 895.14 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रू. 447.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतदद्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2013 द्वारा स्वीकृत कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू. 1056.84 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2013 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।

3- मात्राओं एवं विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

4- प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु रू. 141.37 लाख का प्राविधान किया गया है। भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5- लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सेतु की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://sansandesh.up.nic.in

9- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-442/दस-2016 दिनांक 13 अप्रैल, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:134/2016/610(1)/35-4-2016 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, फैजाबाद ।
7- जिलाधिकारी, फैजाबाद ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फैजाबाद ।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://sinsanadesh.up.nic.in